नवीन प्रकरण : /2653/2018

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर

केम्प इन्दौर (म0प्र0)

निगरानी – 2653/2018/धार/भू.रा.

दिनांक 2-5-18 को श्री टी. डी. गुप्ता अभि० द्वारा प्रस्तुत
9-5-18

सन्तोष पिता नारायणप्रसाद शर्मा,
निवासी ग्राम एकलदुना (धार) तह. धार ....निगरानीकर्ता

बनाम

हरीप्रसाद पिता नारायणप्रसाद शर्मा,
निवासी ग्राम घाटाबिल्लौद, तह. धार ....विपक्षी

पे.दि. 9-5-18

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता

महोदय,

विपक्षी ने अधिनस्थ तहसीलदार महोदय वृत्त 1 धार के राजस्व प्रकरण कमांक 72/अ–6/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 28/11/2016 के विरूद्व 6 माह के अधिक विलम्ब से अनुविभागीय अधिकारी महोदय धार के न्यायालय में दिनांक 18/07/2017 को अपील प्रस्तुत की जो अनुविभागीय अधिकारी महोदय धार के न्यायालय में प्रकरण कमांक 41/अपील/2016–17 पर दर्ज होकर विपक्षी का धारा 5 का आवेदन पत्र बिना योग्य कारण के दिनांक 23/04/2018 को स्वीकार किया । उक्त आदेश से असंतुष्ठ एवं दुखी होकर यह निगरानी निम्न आधारो पर सादर प्रस्तुत है ।

आधार निगरानी

1. यह कि अधिनस्थ विद्वान न्यायालय का आदेश न्याय कानून एवं प्रकरण पत्रिका के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है ।

2. यह कि अधिनस्थ अपील न्यायालय ने यह जानते हुए कि विपक्षी ने 6 माह के अधिक दिनों के बाद अपील प्रस्तुत की है एवं देरी का कोई समुचित कारण

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक **निगरानी/2653/2018/धार/भूरा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-2-2019	**आवेदकपक्ष की ओर से अखिलेश शर्मा अधिवक्ता उपस्थित । अनावेदक अधिवक्ता सुश्री प्रिया वर्मा उपस्थित।आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 22-04-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।** **(मनोज गोयल)** **अध्यक्ष**	